



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1795..

दिनांक-30/09/2026

आगामी त्योहारों व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों, आर्थिक विकास एवं पुलिस के साथ सामन्जस्य स्थापित करने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में एक समन्वय बैठक आहूत की गयी

01- संक्षिप्त विवरण

आज दिनांक 30.09.2026 को श्री बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आगामी त्योहारों व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों, आर्थिक विकास एवं पुलिस के साथ सामन्जस्य स्थापित करने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में एक समन्वय बैठक आहूत की गयी जिसमें लखनऊ व्यापार मण्डल, आदर्श व्यापार मंडल व अन्य कई व्यापार मंडलों के अध्यक्ष, चैयरमैन, कोषाध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहें।

02-उक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी:-

- विभिन्न बाजारों में दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने पर चर्चा की गयी है, जिसमें व्यापारियों द्वारा पूर्ण तौर पर सहयोग किया जायेगा।
- बाजारों में दुकानों के सामने खड़े विक्रेताओं (फल, सब्जी आदि के ठेले) को व्यवस्थित किया जाना।
- महत्वपूर्ण बाजारों जैसे भूतनाथ मार्केट, गोल मार्केट, अमीनाबाद बाजार व लाटुश रोड आदि स्थानों पर वाहनों की पार्किंग तथा ट्रैफिक डायवर्जन के सम्बन्ध में।
- बड़े वाहनों की शहर के अन्दर प्रवेश, जिनमें महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामग्री भरी हो।
- ई-रिक्शा द्वारा दुकानों के आगे पार्किंग करना एवं अपने निर्धारित रूट पर चलना।
- छोटे वाहन जिनके द्वारा दुकानों पर सामग्री लायी जाती है, उनके चालान के सम्बन्ध में।
- साइबर फ्राड से सम्बन्धित खतों का त्वरित निस्तारण करना ताकि व्यापारी के लेनदेन में कोई असुविधा न उत्पन्न हो।
- थाना स्तर पर व्यापारी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करना।
- आवासीय एवं बाजारों में स्थित शराब के ठेको की दुकानों को किसी उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।
- दुकानों पर लगे कर्मचारियों का नियमित तौर पर पुलिस सत्यापन कराना।
- दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित रूप से गुणवत्ता को चेक करना एवं आने जाने वाले मुख्य स्थानों को कवर करना।

03-भविष्य की योजना:

जनपद लखनऊ के समस्त व्यापार मण्डलों के पदाधिकारियों से व्यवसायिक स्थानों की सुरक्षा उक्त बिन्दुओं पर कार्ययोजना तैयार कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा समय-समय पर गोष्ठी आयोजन किये जाने पर भी सहमति बनी।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1790

दिनांक-30.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो० मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय द्वारा गठित टीम द्वारा हत्या के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

- वादी मुकदमा श्री चन्द्रशेखर यादव पुत्र स्व० कमल प्रकाश यादव निवासी चढ़ाई का पुरवा, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ द्वारा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर तहरीरी सूचना दी गयी कि उसका भाई सुजीत यादव उम्र करीब 34 वर्ष घर से बिना बताए चला गया था, जिसके संबंध में दिनांक-17.09.2026 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी गुमशुदगी दर्ज करायी गयी।
- तलाश के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद रायबरेली के थाना बछरावां में अज्ञात शव के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, अज्ञात शव की फोटो एवं हुलिया देखकर वादी चंद्रशेखर द्वारा शव की पहचान गुमशुदा सुजीत यादव के रूप में की गयी।
- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर वादी मुकदमा उपरोक्त की तहरीर सूचना के आधार पर दिनांक 28.09.2026 को मु०अ०सं० 653/2026, धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम उमेश कुमार वर्मा वर्मा उर्फ सोनी वर्मा पुत्र शम्भूलाल वर्मा निवासी मोहम्मदपुरगढ़ी, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 37 वर्ष थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पंजीकृत किया गया।
- अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 03 पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज/टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त उमेश कुमार वर्मा उपरोक्त को आज दिनांक-30.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ अभियुक्त:-

अभियुक्त उमेश से पूछताछ करने पर बताया कि साहब, मैं तथा मृतक सुजीत यादव दोनो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, सुजीत यादव आए दिन मुझसे शराब पीने के लिए रुपये मांगता था तथा गाली-गलौज करता था, जिसको लेकर हम दोनों के मध्य पूर्व से विवाद चल रहा था।

दिनांक 13.09.2026 की रात्रि में भी अहमामऊ चौराहे के पास शराब के नशे में सुजीत यादव द्वारा मेरे साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गयी, इसी बात को लेकर मेरे मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ और मैंने सुजीत यादव को सबक सिखाने के लिए ऑटो में बैठाकर हत्या करने के उद्देश्य से गोसाईगंज की ओर चल दिया। शराब के नशे में मैंने जान से मारने के उद्देश्य से उसे इन्दिरा नहर पुल से नहर में फेक दे दिया जिससे वह नहर में डूब गया, फिर मैं वहां से भाग गया। साहब, मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. उमेश कुमार वर्मा उर्फ सोनी वर्मा, पुत्र शम्भूलाल वर्मा, निवासी मोहम्मदपुरगढ़ी, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 37 वर्ष।

05- पंजीकृत अभियोग:-

- मु0अ0सं0 653/2026, धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फसिटी लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1792

दिनांक-30.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

- थाना निगोहाँ पुलिस द्वारा दस्तावेजों में कूटरचना व धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसन्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष निगोहाँ श्री रवीन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दस्तावेजों में कूटरचना व धोखाधड़ी करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-24.09.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती जॉली अब्राहम पत्नी स्व0 अब्राहम मैनेथ, निवासिनी शहीद नगर कॉलोनी, लखनऊ थाना निगोहाँ पर तहरीरी सूचना दी गयी। जिसमें विपक्षी द्वारा वादी के दस्तावेजों में कूटरचना, फर्जी हस्ताक्षर, धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-136/2026, धारा-61(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2),352,351(3),333,324(4) बीएनएस बनाम 01. फिनि मैथ्यूस, 02. रोहित सिंह, 03. रमेश कुमार उड़कुड़ी हरिनखेड़े, 04. श्वेता शुक्ला, 05. अनिल रोनाल्ड तिकी एवं अन्य अज्ञात थाना निगोहां पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए टेक्निकल, मैनुअल साक्ष्यों एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त अनिल रोनाल्ड तिकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण/मॉड्यूस अपरेन्डी:-

पूछताछ में अभियुक्त अनिल रोनाल्ड तिकी ने बताया। कि साहब, एम एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष अब्राहम मैनेथ की मृत्यु के बाद हम सभी ने आपस में मिलकर संस्था और उससे संचालित एम इंटरनेशनल स्कूल पर कब्जा करने की योजना बनाई। योजना के तहत हम सभी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संस्था में अपने लोगो को नियुक्त किया। फिर हम लोगो ने सोची-समझी साजिश के तहत संस्था से जॉली अब्राहम और उसके बेटे एबी को बाहर निकाल दिया। संस्था और स्कूल पर कब्जा कर हम लोग लाभ अर्जित करने लगे। साहब, मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01-अनिल रोनाल्ड तिकी पुत्र विलियम तिकी निवासी निकट डॉन बोस्को टेक्निकल इंस्टिट्यूट, करुनल्या के समीप थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 38 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरण:-

01-मु0अ0स0- मु0अ0सं0-136/2026, धारा-61(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2),352,351(3),333, 324(4) बीएनएस थाना निगोहाँ लखनऊ

07-बरामदगी विवरण –

➤ 01 अदद मोबाइल रियलमी

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 चन्द्र बहादुर यादव
- उ0नि0 हर्ष वर्मा
- थाना निगोहाँ पुलिस टीम



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0- 1791

दिनांक-30.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डालकर हमला करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डालकर हमला करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28/09/26 को वादी उमेश कुमार पुत्र छंगालाल निवासी ग्राम कोडरा मजरा कोडरा रायपुर थाना मोहनलालगंज लखनऊ बावत नामित विपक्षी द्वारा वादी के मुँह पर ज्वलनशील पदार्थ डालने व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 358/2026 धारा 124(1)/115(2)/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुएल साक्ष्यो व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त दीपू को दिनांक 30.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एवं माड्यूस आपरेंडी:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त दीपू से पूछताछ करने पर बताया कि साहब, दिनांक 26/09/2026 को मैं उमेश के साथ उसकी बाइक से कोडरा रायपुर से धनुवासाड़ के लिए निकला तथा धनुवासाड़ के पास शराब पीया। नशे में उमेश से वाद विवाद हो जाने पर मारपीट हो गयी, फिर मैं गुस्से में उमेश के ऊपर बैटरी का पानी फेंक दिया। फिर मैं घबराकर मौके से भाग गया। साहब, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. दीपू पुत्र श्रीपाल निवासी पितनाखेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र करीब 39 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरण:-

01-मु0अ0सं0 358/2026 धारा 124(1)/115(2)/351(3) बीएनएस थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

06-आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 177/2023 धारा 120B/363/366/376/504/506 भादवि व 3/4/16/17 पाक्सो एक्ट थाना असोहा जनपद उन्नाव ।
2. मु0अ0सं0 130/2026 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना असोहा जनपद उन्नाव

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1793

दिनांक-30.09.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा कसमण्डी कलां में रंजिश के चलते छोटा हाथी/पिकअप वाहन से जानबूझकर श्यामलाल के ऊपर वाहन चढ़ाकर हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2026 को थाना मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कसमण्डी कलां में श्यामलाल पुत्र शिवदीन, निवासी ग्राम कसमण्डी कलां के साथ छोटा हाथी/पिकअप वाहन संख्या यू0पी0 32 क्यू0एन0 6134 से घटना घटित होने तथा उपचार हेतु ले जाते समय उनकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29.09.2026 को थाना मलिहाबाद पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 186/2026 धारा 103(1)/109(1)/351(3)/61(2) बीएनएस बनाम फरजान पुत्र नवी अहमद, अकील अहमद पुत्र हबीब अहमद एवं डा0 शकील पुत्र हबीब अहमद, निवासीगण ग्राम कसमण्डी कलां, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना मलिहाबाद द्वारा ग्रहण की गयी। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश की गयी। वादी मुकदमा एवं चश्मदीद गवाहों के बयान अंकित किये गये।

विवेचना के दौरान नामित अभियुक्त फरजान पुत्र नवी अहमद, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम कसमण्डी कलां, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ को दिनांक 29.09.2026 को ग्राम कसमण्डी कलां क्षेत्र से घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी/पिकअप वाहन संख्या यू0पी0 32 क्यू0एन0 6134 सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त वाहन को घटना में प्रयुक्त होने के कारण विवेचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कब्जे पुलिस में लिया गया है। वाहन के सम्बन्धित अभिलेख एवं स्वामित्व आदि का सत्यापन किया जा रहा है।

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त फरजान की घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रकरण में नामित अन्य व्यक्तियों की भूमिका के सम्बन्ध में विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त फरजान को नियमानुसार गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण की शेष विवेचना साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार प्रचलित है।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त फरजान पुत्र नवी अहमद, निवासी ग्राम कसमण्डी कलां, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ, उम्र करीब 20 वर्ष से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह छोटा हाथी/पिकअप वाहन संख्या यू0पी0 32 क्यू0एन0 6134 चलाता है। दिनांक 28.09.2026 की शाम वह उक्त वाहन लेकर ग्राम कसमण्डी कलां में था। उसके ही गांव के रहने वाले श्यामलाल पुत्र शिवदीन गांव जाने वाली सड़क पर चारपाई पर लेटे हुए थे।

अभियुक्त के अनुसार, श्यामलाल से उसकी पूर्व से रंजिश चल रही थी, इसी रंजिश के चलते उसने जानबूझकर छोटा हाथी/पिकअप वाहन श्यामलाल के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे वह घायल हो गये और उपचार हेतु ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गयी।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में यह भी बताया गया कि घटना के दौरान गांव के दो बच्चों एवं एक महिला रूमन के ऊपर भी जान से मारने के उद्देश्य से उक्त वाहन चढ़ाया गया था।

03- अनावरित अभियोग का विवरण

01-मु0अ0सं0 186/2026 धारा 103(1)/109(1)/351(3)/61(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01-फरजान पुत्र नवी अहमद, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम कसमण्डी कलां, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

05- बरामदगी

➤ छोटा हाथी/पिकअप वाहन संख्या यू0पी0 32 क्यू0एन0 6134।

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का0 उत्तम कुमार, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1789

दिनांक-30.09.2026

जोन-उत्तरी / थाना- महिगवां

- **थाना महिगवां पुलिस द्वारा मारपीट एवं जानलेवा हमला करने के आरोपी 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

कार्यवाही-

दिनांक 28.09.2026 को थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बसेना में नहर पटरी के किनारे हुई मारपीट, गाली-गलौज, जानलेवा हमला एवं जान से मारने की धमकी की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 04 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.09.2026 को वादी मुकदमा श्री अमित कुमार वर्मा पुत्र रामनरेश, निवासी ग्राम बीबीपुर, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा थाना महिगवां पर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादी द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर वादी के भाई एवं ग्रामवासियों के साथ गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया तथा मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गयी, जिससे वादी के भाई एवं ग्रामवासियों को चोटें आयीं । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महिगवां पर मु0अ0सं0 154/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/118(1)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना महिगवां पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये।

इसी क्रम में दिनांक 29.09.2026 को समय करीब 23:40 बजे थाना स्थानीय पर पूछताछ हेतु तलब किये गये नामजद अभियुक्तगण संदीप कुमार उर्फ नेता, विद्यासागर, मनीष कुमार एवं प्रदीप उपरोक्त से पूछताछ की गयी।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गयी। अपराध में प्रयुक्त औजार के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा स्पष्ट जानकारी न देकर गोलमोल जवाब दिये गये। अपराध में संलिप्तता के उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार अभियुक्तगण को पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

02-अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा दिनांक 28.09.2026 को ग्राम बसेना में हुए विवाद एवं मारपीट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गयी। अपराध में प्रयुक्त धारदार हथियार/औजार के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा स्पष्ट जानकारी न देकर गोलमोल जवाब दिये गये। घटना के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 154/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/118(1)/109 बीएनएस, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ।

अभियुक्तों का अन्य आपराधिक इतिहास अन्य थानों से ज्ञात किया जा रहा है।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण / व्यवसाय

1. संदीप कुमार उर्फ नेता पुत्र स्व0 सीताराम निवासी ग्राम बसेना, ग्राम पंचायत जलालपुर, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष व्यवसाय- मजदूरी।
2. विद्यासागर पुत्र श्री श्यामलाल निवासी ग्राम बसेना, ग्राम पंचायत जलालपुर, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष व्यवसाय- खेती किसान।
3. मनीष कुमार पुत्र श्री सुखदेव निवासी ग्राम बसेना, ग्राम पंचायत जलालपुर, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष व्यवसाय- खेती किसान।
4. प्रदीप पुत्र श्री बैरागी निवासी ग्राम बसेना, ग्राम पंचायत जलालपुर, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष व्यवसाय- खेती किसान।

05-बरामदगी -

गिरफ्तार अभियुक्तगण की जामा तलाशी के दौरान पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार/औजार की बरामदगी के सम्बन्ध में विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना महिगवां -

1. उ0नि0 सतीश सिंह – विवेचक/टीम प्रभारी।
2. उ0नि0 इन्द्रपाल सिंह सेंगर।
3. का0 प्रदीप कुमार यादव।
4. का0 अश्वनी राठौर।
5. का0 संजय कुमार गौतम।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1788

दिनांक- 30.09.2026

जोन - मध्य / थाना - मदेयगंज

- थाना मदेयगंज की पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम करने का आरोपी / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01. संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा दिनांक 13.09.2026 को थाना मदेयगंज पर प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त मो० तालिब पुत्र इकरामुद्दीन, निवासी अबुल फजल इन्कलेव-2, शाहीन बाग, ओखला साउथ दिल्ली द्वारा पीड़िता का विश्वास प्राप्त कर शादी का वादा करते हुए उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए गए। पीड़िता के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसकी सहमति के बिना दबाव बनाकर दवा खिलाते हुए गर्भपात भी कराया गया तथा बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मदेयगंज पर मु०अ०सं० 115/2026 धारा 69/89 बीएनएस बनाम मो० तालिब उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के क्रम में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए धारा 180 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान दर्ज कराया गया।

उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना मदेयगंज पुलिस गठित टीम द्वारा मोहल्ला मल्हूपुरा, थाना सिविल लाइन, जनपद मुजफ्फरनगर से अभियुक्त मो० तालिब पुत्र इकरामुद्दीन, उम्र करीब 29 वर्ष को उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग से अवगत कराते हुए दिनांक 30.09.2026 को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त को मा०न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो० तालिब पुत्र इकरामुद्दीन निवासी एफ 172 जी/एस बैक साइड अबुल फजल इन्कलेव 2 शाहीन बाग थाना शाहीनबाग राज्य दिल्ली उम्र 29 वर्ष

03. पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 115/2026 धारा 69/89 बीएनएस थाना मदेयगंज लखनऊ

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

04. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अनुज कुमार तिवारी, थाना मदेयगंज लखनऊ
2. उ०नि० सुधीर कुमार, थाना मदेयगंज लखनऊ
3. उ०नि० प्रदीप सिंह, थाना मदेयगंज लखनऊ
4. उ०नि० नागवेन्द्र सिंह, थाना मदेयगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0- 1787

दिनांक- 30.09.2026

थाना- मदेयगंज / जोन- मध्य

- थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा गोमती नदी में डूब रहे युवक को अथक प्रयास से सकुशल बाहर निकाल कर परिजनों को किया सुपुर्द ।
- आत्महत्या के इरादे से गोमती नदी में कूदे कार चालक को मदेयगंज पुलिस ने सकुशल बाहर निकाला।
- “कार लोन की किस्तें अदा न कर पाने से परेशान होकर गोमती नदी में लगायी थी छलांग ।
- श्रीमान पुलिस उपायुक्त मध्य द्वारा आरक्षी अवधेश कुमार को 05 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की गयी है।

संक्षिप्त विवरण :-

आज दिनांक 30.09.26 को प्रातः समय करीब 03.00-04.00 बजे के मध्य थाना मदेयगंज की पॉलीगॉन 132 मोबाइल क्षेत्र में भ्रमणशील थी कि दौराने गस्त नया पक्का पुल पर एक कार खड़ी दिखाई दी जिसमें कोई भी व्यक्ति बैठा नजर नहीं आया।

संदेह / अनहोनी की आशंका होने पर, पॉलीगॉन मोबाइल पर नियुक्त कर्मचारीगण आरक्षी अवधेश कुमार, आरक्षी जितेंद्र कुमार सरोज द्वारा वाहन के आसपास वाहन चालक की तलाश करने की प्रयास किया गया तो पाया कि एक व्यक्ति गोमती नदी में कूदा हुआ है, जो कि काफी छटपटा रहा है और बचाओ-बचाओ चिल्ला रहा है।

आरक्षी अवधेश कुमार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कुड़िया घाट के पास से नाव लेकर स्वयं चलाकर अथक प्रयास के बाद उक्त डूब रहे व्यक्ति को गोमती नदी से निकाल कर नाव में बैठा कर डूबने से बचाते हुए बाहर निकाला गया।

उक्त व्यक्ति से वार्ता की गई तो, निवासी जनपद प्रतापगढ़ हाल पता किराये का मकान थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष ने बताया कि ओला, उबर ऐप के माध्यम से कार चला कर जीवन यापन करता है, कार के LOAN की किस्त काफी हो जाने एवं समय से अदा न कर पाने की वजह से वाहन चालक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया तथा गोमती नदी में कूद गया था ।

पीडित / वाहन चालक के स्वास्थ्य की जांच हेतु बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा उक्त वाहन चालक को पूर्णतः स्वस्थ बताये जाने पर थाना हाजा वापस लाया गया।

पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन चालक को काफी समझाया-बुझाया तथा उनकी काउंसिल करायी गयी। घटना के सम्बन्ध में इनके परिजनों को अवगत कराया गया। जिस पर उनके परिजन थाना हाजा उपस्थित आये जिनको सम्पूर्ण प्रकरण से अवगत कराया गया जिस पर परिजनों द्वारा थाना मदेयगंज व लखनऊ पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। बाद कार्यवाही उक्त वाहन चालक उपरोक्त को नियमानुसार उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री गणेश कुमार, थाना मदेयगंज लखनऊ
2. उ0नि0 श्री पंकज नागर, थाना मदेयगंज लखनऊ
3. आरक्षी 7422 अवधेश कुमार, थाना मदेयगंज लखनऊ
4. आरक्षी 7347 जितेंद्र कुमार सरोज, थाना मदेयगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1796

दिनांक-30.09.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में नामित 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।
- बजे से चोरी से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी IPHONE और 2500 रूपये नकद बरामद हुआ।

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 23.09.2026 को वादी मुकदमा आदिल फारुख पुत्र मो0 फारुख निवासी ग्राम बेहटा थाना गुडम्बा लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 365/2026 धारा 305ए बीएनएस बावत उसके घर पर कार्य करने वाला बालक द्वारा उसके घर के आलमारी से 07 अदद अंगूठी चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

आज दिनांक 30.09.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामित एक नफर बालक को पतारसी सुरागरसी के क्रम में जनेश्वर अपार्टमेंट के पास सेक्टर जे जानकीपुरम से संरक्षण में लिया गया जिसके चोरी से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी IPHONE और 2500 रूपये नकद बरामद हुआ। जिसे बाल सुधार गृह भेजने हेतु मा0 किशोर न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 306/317(2) BNS में प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर बालक द्वारा बताया गया कि वह वादी मुकदमा के घर पर काम करता था। उनके घर पर सभी उसे जानते थे। मौका पाकर उसके द्वारा वादी मुकदमा के घर से अंगुठिया भिन्न भिन्न तिथियों पर चोरी किया था। वादी मुकदमा को इस बात का शक होने के उपरान्त वह लुक छीप कर रह रहा था और उक्त अंगुठियों को राह चलते व्यक्तियों को बेच देता था और उससे 40 हजार रूपये प्राप्त हुए थे जिससे बालक द्वारा एक IPHONE क्रय किया गया और खर्च के उपरान्त शेष बचे 2500 रूपये भी थे जो आज पुलिस बल द्वारा बरामद किया गया है।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 365/2026 धारा 306/317(2) BNS थाना गुडम्बा लखनऊ।

04-पुलिस संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी की उम्र करीब 17 वर्ष है।

05-बरामदगी

- IPHONE मोबाइल
- 2500 रूपये नकद

06-पुलिस टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री शान्तनू बालिया
3. उ0नि0 अजय शंकर पांडेय
4. का0 सुरज कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1794..

दिनांक-30/09/2026

जोन-पश्चिमी/ थाना-कैसरबाग

■ थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 19.09.2026 को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-169/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत वादिनी की नाबालिग पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने एवं वापस न आने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में पुलिस द्वारा गुमशुदा/पीड़िता की तलाश कर उसे सकुशल बरामद किया गया।

पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 64 बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि करते हुए अभियुक्त अभिषेक भार्गव पुत्र सम्बारी लाल भार्गव निवासी 131/33 महमूदाबाद हाउस, थाना कैसरबाग, लखनऊ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा पतारसी-सुरागरसी एवं सर्विलांस के माध्यम से लगातार प्रयास किये जा रहे थे। दिनांक 29.09.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा यूनिटी सिटी, बहादुरपुर, कल्याणपुर से अभियुक्त अभिषेक भार्गव को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त ने अपना नाम अभिषेक भार्गव पुत्र सम्बारी लाल भार्गव, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी 131/33 महमूदाबाद हाउस, थाना कैसरबाग, लखनऊ बताया।

अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग एवं घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। अभियुक्त को उसके गिरफ्तारी के आधार एवं कारण से अवगत कराते हुए दिनांक 29.09.2026 को समय करीब 19:50 बजे धारा 137(2)/64 बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के अभियोग में विधिवत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी का कार्य करता है तथा लालच में आकर उक्त घटना में शामिल हो गया। पीड़िता के घर से चले जाने के बाद मामला खुल गया। अभियुक्त द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी गयी।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

01-अभिषेक भार्गव पुत्र सम्बारी लाल भार्गवनि0-131/33 महमूदाबाद हाउस थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र 29 वर्ष।

04- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 अंजनी कुमार मिश्रा – थाना कैसरबाग, लखनऊ
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार – थाना कैसरबाग, लखनऊ
3. उ0नि0 चन्दन कुमार मिश्रा – थाना कैसरबाग, लखनऊ
4. उ0नि0 प्रशान्त कुमार – थाना कैसरबाग, लखनऊ
5. म0का0 सुषमा मिश्रा – थाना कैसरबाग, लखनऊ
6. सर्विलांस टीम – पश्चिमी जोन, लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1797

दिनांक-30.09.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा वादी के घर में चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से चोरी के कीमती जेवरात व चोरी की संपत्ति को बेचकर उससे क्रय की गयी अपाचे मोटर साइकिल बरामद किया गया।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.2026 को वादी मुकदमा अभिषेक प्रभाकर पुत्र अमरनाथ प्रभाकर निवासी किरन इन्क्लेव, भाखामऊ, थाना गुडम्बा, लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 361/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत उसके घर से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा कीमती जेवरात एवं नकदी चोरी कर ले जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

विवेचना के दौरान घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज एवं घटना में प्रयुक्त वाहन की पहचान कर उसमें सवार व्यक्तियों की तकनीकी माध्यमों से पहचान की गयी। उक्त दोनों संदिग्धों की पहचान बुद्धराम उर्फ बुद्धा पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम केसरीपुर, पो0 छेदा, थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी तथा वसीम पुत्र मुस्तकीम निवासी पाण्डेय का पुरवा खेखुरवा, थाना शिवरतनगंज, जनपद अमेठी के रूप में हुई। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

आज दिनांक 30.09.2026 को पतारसी-सुरागरसी के क्रम में उ0नि0 संदीप सिंह गौर मय हमराही पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त बुद्धराम उर्फ बुद्धा पुत्र शिवनाथ, निवासी ग्राम केसरीपुर, पो0 छेदा, थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 22 वर्ष को पारा-रजौली मार्ग से समय करीब 09:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित ₹720/- नगद, 02 अदद कान की बाली, 01 अदद नाक की नथनी, सभी पीली धातु, तथा 01 कलाई तोड़ लच्छा, 02 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी छागल, 01 अदद कमर की करधन, सभी सफेद धातु बरामद की गयी। इसके अतिरिक्त अभियोग की घटना से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP41 BW 9207, रंग काला भी बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त बुद्धराम उर्फ बुद्धा द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.09.2026 को उसने अपने साथी वसीम के साथ किरन इन्क्लेव, भाखामऊ में चोरी की घटना कारित की थी। चोरी से प्राप्त जेवरात एवं नकदी को दोनों ने आपस में बांट लिया था। अभियुक्त के हिस्से में आई सोने की चेन को बेचकर उसने अपने पिता के नाम से अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP41 BW 9207 खरीदना बताया।

अभियुक्त के कब्जे से शेष माल के रूप में पायल, छागल, कलाई तोड़ लच्छा, करधन, नथनी, कान की बाली एवं ₹720/- नगद बरामद हुए। अभियुक्त द्वारा अपने साथी वसीम के पास एक सोने की चेन, एक चार लड़ की चेन एवं ₹10,000/- नगद होना बताया गया। अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जाना बताया गया है।

03-अनावरण अभियोग का विवरण

01-मु0अ0सं0 361/2026 धारा 305(ए)/331(3)/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

04- आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 469/2021 धारा 380 आईपीसी, थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0 484/2021 धारा 457/380/411 आईपीसी, थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी।
3. मु0अ0सं0 0420/2025 धारा 331(4)/305(ए)/317(2)BNS थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी।
4. मु0अ0सं0 0419/2025 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) BNS थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05- गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

01-बुद्धराम उर्फ बुद्धा पुत्र शिवनाथ, निवासी ग्राम केसरीपुर, पो0 छेदा, थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 22 वर्ष।

06- बरामदगी

- ₹720/- नगद।
- 02 अदद कान की बाली, पीली धातु।
- 01 अदद नाक की नथनी, पीली धातु।
- 01 कलाई तोड़ लच्छा, सफेद धातु।
- 02 जोड़ी पायल, सफेद धातु।
- 01 जोड़ी छागल, सफेद धातु।
- 01 अदद कमर की करधन, सफेद धातु।
- चोरी की घटना से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP41 BW 9207, रंग काला।

07- गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार मिश्र – थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. उ0नि0 संदीप सिंह गौर – थाना गुडम्बा, लखनऊ।
3. का0 विवेक कुमार सिंह – थाना गुडम्बा, लखनऊ।
4. का0 रवि राणा – थाना गुडम्बा, लखनऊ।
5. का0 दीपक – थाना गुडम्बा, लखनऊ।
6. का0 अनिल – थाना गुडम्बा, लखनऊ।